संख्या-1/3/96-का-4-2007

प्रेषक,

जे.एस.दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांकः सितम्बर 14 ,2007

विषयः- सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 24 मई, 2007, दिनांक 28 जून, 2007, दिनांक 18 जुलाई, 2007 एवं दिनांक 11 सितम्बर, 2007 के क्रम में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ हैः-

(1) तात्कालिक प्रभाव से समस्त संवर्गो के समस्त श्रेणियों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण किया जाना प्रतिबंधित किया जाता है । अतः अब किसी भी संवर्ग के किसी भी श्रेणी के अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण न किये जांय ।

(2) अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में विभागीय प्रमुख सचिव/ सचिव के सूक्ष्मतापूर्वक परीक्षणोपरान्त, मा. विभागीय मंत्री के माध्यम से समस्त संवर्गो / समस्त श्रेणी के कार्मिकों के स्थानान्तरण किये जाने से पूर्व मा. मुख्य मंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय ।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

14/9/07

(जे.एस.दीपक)
प्रमुख सचिव

संख्या-1/3/96(1)-का-4-2007,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा.मंत्रिगण ।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव/ मुख्य सचिव ।
5. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश ।
6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
7. विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा. मुख्य मंत्री जी ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव